रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052025-263221 CG-DL-E-19052025-263221

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279] No. 279] नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2025/वैशाख 29, 1947 NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2025/VAISAKHA 29, 1947

# वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2025

सं. 49 /2025

**सा.का.नि. 322(अ).**—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 की उपधारा (8क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

- 1. सिक्षप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2025 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3283 GI/2025 (1)

2. आयकर नियम, 1962, परिशिष्ट-2 में प्ररूप आईटीआर-यू के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप आईटीआर-यू (अद्यतन विवरणी के लिए आईटीआर) रखे जाएंगे, अर्थात् :—

भारतीय आयकर अद्यतन विवरणी

७ॐप्र"	आ.क.1	वे यू	[व्यक्ति	[व्यक्तियों के लिए सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से अड़तालीस महीने के भीतर आय को अद्यतन करने के लिए] (पात्रता के लिए निर्देश देखें) (कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12कग देखें)								
भाग व	न् साधारण	जानकारी	- 139(8	<del></del> (								
(क 1)			,	(क2) नाम	(क3 आधार	संख्या (12	2 अंक)					
	निर्धारण व ग निर्देश दे		Ч		निर्धारण वर्ष के ठाइल की गई थी		(क 6)यदि हाँ , क्या धारा 139(1) के अधीन फ □ अन्य	गइल किय	ा गया है □			
पावती फाइल	(कुपया) पावती संख्या या रसीद संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)  (कुपया  इॉपडाउन से आईटीआर  पाव.सं. और फाइल करने की तारीख  ( ग्रं पाव.सं. और फाइल करने की तारीख  ( ग्रं पाव.सं. और फाइल करने की तारीख  ( ग्रं पाव.सं. और फाइल करने की तारीख											
के पात्र	(क8)  क्या आप धारा 139(8क) के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे परंतुक मेंअधिकथित शर्तों के अनुसार अद्यतन विवरणी फाइल करने के पात्र हैं? <b>□ हाँ □ नहीं</b>											
<b>(क9)</b> कृपया अपनी आय को अद्यतन करने के लिए आईटीआर प्ररूप चुनें (आईटीआर 1-7 को ड्रॉप-डाउन से चुना जाना चाहिए और ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार भरा जाना चाहिए - निर्देश देखें)												
1.	•			रने के कारण:								
	🗖 विवरणी											
	🗖 आय की			<b>ग</b> ई								
	⊐ आय के ⊐ अग्रेषित											
	🗕 जत्रावत 🗖 शेष अव											
				अधीन प्रतिदे	य कर में कमी							
	🗖 कर की											
	🗖 अन्य											
(क11	) क्या आप	सुसंगत वि	नेर्धार्ण व	र्ष के अंत से 1	2 महीने तक्□	सुसंगत वि	नेर्धारण वर्ष के अंत से 🗖 12 से 2	24 महीनों वे	रू बीच की			
	धि के दौरान अद्यंतन विवरणी फाइल कर रहे हैं □ सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 24 से 36 माह के बीच □ सुसंगत निर्धारण की समाप्ति से 36 से 48 माह के बीच											
	12) (क) क्या आप अग्रेषित हानि या शेष अवक्षयण या प्रतिदेय कर को कम करने के लिए अद्यतन विवरणी फाइल कर रहे हैं? हाँ 🗖 नहीं											
(ख) य	दि हां, तो	कृपया निः	र्धारण वर्ष	निर्दिष्ट करें ज	हां इस अद्यतन	विवरणी वे	p कारण अग्रेषित हानि या शेष अ	वक्षयण या	प्रतिदेय कर			
प्रभावि	त हो रहा है	है। (कृपय	<i>ड्रापडा</i> ड्र	रन् मेन्यू से चय	ान करें)	0	o (a <b>u o</b> .					
					•		की गई है <b>□ हाँ □ नहीं</b>					
						ल की गई	ई है <b>□ हाँ □ नहीं</b>					
भाग	ख - कुल				अति संगणना							
1.	क	आय का लौटाई ज		जिसके अधीन	न अद्यतन विवरप	गी राशि वे	p अनुसार रुपये में अतिरिक्त आय्	। रूप	ए में रकम			
		•		र हाँ तो काण	ा। अतिरिक्त आय	ा निर्टिष <i>व</i>	क् <del>र</del> ों।					
	क.	आय का वेतन से	•	र हा, ता कृपय	।। जातारपत जार	1 111148	1/\)					
	ਧਾ. ख.		जाप ते से आय					_				
	ख. ग.	_	ग वृत्तिक									

	ਬ.	पूंजीगत लाभ से आय									
	 ङ.	अन्य स्रोतों से आय									
	ਚ.	कुल अतिरिक्त आय (क+ख+ग+घ+ङ.)									
	 ख <b>.</b>	पिछले वैध विवरणी के अनुसार कुल आय		हां आयकर विवरणी	पहले						
	C.	फाइल किया गया है)									
2.		भाग ख-टीआई के अनुसार कुल अद्यतन	आय आयकर विवरणी 2	/3/5/6/7 या भाग ग							
		आ.क.वि – 1/4( यथा लागू) की कटौती उ									
3.		देय राशि, यदि कोई हो (अद्यतन आईटी			आर-1						
		को संदेय कर की संगणना या भाग घ अह									
		कर प्रास्थिति (कृपया अनुदेश देखें)									
4.		वापसी योग्य राशि, यदि कोई हो (अद्यत-									
		आ.क.वि1 के संदेय कर की संगणना य संगणना और कर प्रास्थिति के भाग ख-र्ट	। भाग घ अद्यतन आ.क.वि भी शर्म के " एन्टिस्स " से	.४ (यथा लागू) का क न्नी जाण	₹						
		(कृपया निर्देश देखें)	ाटाजाइ क प्रातादाव स	લા બાલ)							
5.		अंतिम वैध विवरणी के आधार पर देय रा	शि (केवल लागू मामलों में	)							
6.		(i) पिछले वैध विवरणी के अनुसार दावा f	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		रा देखें)						
		(ii) पिछले वैध विवरणी के अनुसार जारी	(ii) पिछले वैध विवरणी के अनुसार जारी किया गया कुल प्रतिदाय, यदि कोई हो (इस राशि में								
		प्राप्त ब्याज धारा २४४क के अधीन सम्मिलित होना चाहिए) (कृपया निर्देश देखें)									
7.		पहले विवरणी के अनुसार धारा 234च के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए									
8.		शुल्क नियमित निर्धारण कर (लागू मामले में)									
о.		(कृपया उस संदेय कर का उल्लेख करें जो क्रम सं. 5 में घोषित संदेय कर के अधिक है और									
		उपर है)									
9.		अतिरिक्त आय पर सकल देयता									
		(i) [3+6ii-(5+8+4))] प्रतिदाय जारी की									
		(ii) [3+6i-(5+8+4))] प्रतिदाय जारी नर्ह									
10.		अद्यतन आय पर अतिरिक्त आयकर देय	ता <b>[25% or 50</b> % या 60	% या 70% of (9-7)	]						
11.		देय शुद्ध रकम (9+10)									
12.		140ख के अधीन संदेय कर									
13.		देय कर (11-12)									
14.		दाय (केवल अद्यतन विवरणी के अनुसार)									
	क	धारा 140ख के अधीन अद्यतन विवरणी पर	र कर क भुगतान का विव	रण							
		क्र.सं. बीएसआर कोड ज	ामा करने की तारीख	चालान रकम की	रकम(रु.)						
	b	प्रिंग्स वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग	(दिन/माह/वर्ष) <b>)</b>	क्रम संख्या	(4/4((7.)						
	<del> </del>		(( ( ), (( ), ())	,							
	140ख के अधीन कर	(1) (2)	(3)	(5)							
	46	i									
	10ख	<del>                                     </del>									
	14	iii									
		टिप्पण► भाग ख-अति के क्र. सं.11प		्रा । । । । संदेय कर का योग							
	ख	अग्रिम कर/स्व-निर्धारण कर/नियमित निध		-	न्या नहीं किया गम है गहले के						
		जाप्रम कर्रस्व-ानधारण कर्रानयामत ानध विवरणी में दावा किया गया है (उसके लिए									
	<u> </u>	विवरणा में यावा विश्वा गया है (उरावर सिर्द वारा 140ख(2) वर जवाग आसविव वर्ग जिन्नास गहा है)									

ा/नियाम र	क्र.सं.	ō	बीएस	आर	र को	ड				मा क (दिन						चालान राशि की क्रम संख्या							रकम(रु.)					
कि 1 क	(1)			(2) (3) (4)									(	5)														
	i																											
ਕ-ਸ ਜਿੰध	ii																											
HÆ	iii																											
अग्रिम/स्व <sub>-</sub> नि	iv																											
	टिप्पण					ব্র(2)																						
ारा 89के के अधीन							ले वि	वरप	गी मे	में नह	हीं वि	व्या	गय	ा है	[उस	कि f	लेए	धार	T 14	.0	रुपा	ए						

#### सत्यापन

मैं,	पुत्र/पुत्री					सार, विवरणी में दी गई
जानकारी स	ही और पूर्ण है और आय	कर अधिनियम, 1961	के उपबंधों के अ	नुसार है। मैं आगे	घोषणा करता	हूं कि मैं हूं इस विवरणी
को						प हुं और मैं इस विवरणी
को बनाने अ	 गौर इसे सत्यापित करने के					
तारीख:	•		हस्ताक्ष		,	<b>'.</b>

[फा. सं. 370142/20/2025-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव, कर नीति और विधायन

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड ३, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का.आ. ९६९(अ), तारीख २६ मार्च, १९६२ द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ३०३ (अ), तारीख ०९ मई, २०२५ द्वारा किया गया।

# MINISTRY OF FINANCE

# (Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th May, 2025

# No. 49 /2025

- G.S.R. 322(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8A) of section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
- 1. **Short title and commencement**. (1) These rules may be called the Income-tax (Nineteenth Amendment) Rules, 2025.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix-II, for Form ITR U, the following Form ITR-U (ITR for updated return) shall be substituted, namely: —

					IND	IAN INC	COME	TAX	UPD	ATEI	RET	URN								
"FORM	ITR	-U	[F	or person	s to upo		me wit levant		-	_		s fron	n the e	end of	the					
FO]						(Rofo	r instru	ıction	s for	eliaihi	lity)									
3										Ü	• /									
				(Please see rule 12AC of the Income-tax Rules, 1962)																
PART A - GI	ENERAL I	NFOR	MATI	ATION – 139(8A)																
(A1) PAN				(A2)	(A3) A	Aadhaar Number (12 digits)														
(A4) Assess	ment Year		(A:	5) whether	r return		(A6) l	f yes,												
[Please see			pro	eviously fi	led for	this	XX/I4	L C	1	/ 1	20(1)	- O41								
			ass	essment y	ear?		wnet	ner 11	iea u	/s	39(1)	_Ծա	iers							
				☐ Yes ☐ No																
(A7) If appli	cable, ente	er form	filed.	(Ple		Ack No	o, and o	f filir	19											
Acknowledgement No. or Receipt No. select ITR																				
and Date of					e from						1		/	/						
(DD/MM/Y)	0 0			drop-																
`				dov																
(A8) Are yo	u eligible f	or filin	g an u	pdated ret	urn as	per the c	onditio	ons la	id ou	t in fir	st, sec	ond,	third	and fe	ourth					
provisos to s	section 139	(8A)?																		
☐ Yes ☐N	lo.																			
(A9) Please		ITR fo	orm fo	r updating	vour i	ncome (I	TRs 1-	7 to b	e sel	ected f	from d	lrop-c	down	and fi	illed					
as per the d					- •	,						1								
(A10) Poss	one for unc	doting	vour i	100mo:																
(A10) Reasons for updating your income:  Return previously not filed																				
	☐Income not reported correctly ☐Wrong heads of income chosen																			
Reductio				SS																
Reductio	n of unabs	orbed	depred	ciation																
	Reduction of tax credit u/s 115JB/115JC																			
<b>□Wrong</b> ra	ate of tax																			
<b>□Others</b>																				

□up □be □be	to 12 tweer tweer tweer	you filing the updated return during the period months from the end of the relevant assessment year 12 to 24 months from the end of the relevant assessment year 12 to 36 months from the end of the relevant assessment year 136 to 48 months from the end of the relevant assessment year	
credit	t? =	re you filing the updated return to reduce carried forward loss or unabsorbed delives No	
		please specify the assessment years where carried forward loss or unabsorbed depeing affected because of this updated return. (Please select from drop down menu)	reciation or tax
		er original/revised return has been filed for the AY in (b) above Yes No	
		er updated return has been filed for the AY in (b) above	
		T	4 . D
1.	A	Head of income under which additional income is being returned as per Updated Return	Amount in Rs.
		Head of income (If yes, please specify additional income)	
	a	Income from Salary	
	b	Income from House Property	
	с	Income from Business or Profession	
	d	Income from Capital gains	
	e	Income from other Sources	
	f.	Total additional income (a+b+c+d+e)	
	B.	Total income as per last valid return (only in cases where the Income Tax	
		Return has previously been filed)	
2.		Total income	
		As per Part B-TI of ITR-2/3/5/6/7 or Part C- Deductions and Taxable Total	
		Income of ITR-1/4 (as applicable)	
		(Please see instruction)	
3.		Amount payable, if any	
		(To be taken from the "Amount payable" of Part B-TTI of updated ITR-2/3/5/6/7	
		or Part D-Computation of Tax Payable of updated ITR-1 or Part D- Tax	
		computations and Tax Status of updated ITR-4) (as applicable)	
		(Please see instruction)	
4.		Amount refundable, if any	
		(To be taken from "Refund" of Part B-TTI of updated ITR-2/3/5/6/7 or Part D-	
		Computation of Tax Payable of updated ITR-1 or Part D- Tax computations and	
		Tax Status of updated ITR-4) (as applicable)	
		(Please see instruction)	
5.		Amount payable on the basis of last valid return (only in applicable cases)	
6.		(i) Refund claimed as per last valid return, if any (Please see instruction)	
		(ii) Total Refund issued as per last valid return, if any (including interest u/s	
		244A received) (Please see instruction)	
7.		Fee for default in furnishing return of income u/s 234F	
8.		Regular Assessment Tax, if any (in applicable cases)	
		(Please mention the tax paid which is over and above the tax payable declared in sl.no.5)	
9.	l l	Aggregate liability on additional income,	
		(i) in case refund has been issued [3 + 6ii- (5 + 8 +4)])	
		(ii) in case refund has not been issued $[3 + 6i - (5+8+4)]$	
10		2 1 12	
10.		Additional income-tax liability on updated income [25% or 50% or 60% or 70% of (9-7)]	
11.		Net amount payable (9+10)	
12.		Tax paid u/s 140B	
13.		Tax due (11-12)	

14.	TAX	TAX PAYMENTS (ONLY as per Updated Return) Details of payments of tax on updated return u/s 140B																											
A	Details of payments of tax on updated return u/s 140B																												
40B	Sl. No.			BS	R C	ode	;					te of					Sei		Nu 'hal	mbe lan	r of			An	nou	ınt (	Rs.)	)	
S 14	(1)				(2)								3)		,				(4)						(	(5)			
TAX PAID U/S 140B	i																												
AID	ii																												
K P.	iii																												
[AX	iv																												
	N	OTE			Ente	er tl	ne to	tals	of t	ax p	aid	u/s	140	B at	SI.	No.1	11 o	f Pa	ırt l	B-A	ΓI								
В	TAX	(PA	YM.	EN'	ΓS																								
ADVANCE/SELF ASSESSMENT/ REGULAR ASSESSME	has n	Details of payments of Advance Tax / Self-Assessment Tax / Regular Assessment Tax, credit for which has not been claimed in the earlier return (credit for the same is not to be allowed again under section [40B(2)]																											
ASSE	Sl. No.			BS	R C	ode	;					te of MN					Sei		Nu 'hal	mbe lan	r of			An	nou	ınt (	Rs.)	)	
SLF R	(1)				(2)							(	3)						(4)	)					(	(5)			
S/SE	i																												
NGE SGE	ii																												
ZA.	iii																												
(A)	iv																												
7	NO	OTE			Cre	dit 1	for a	bov	e is	not	to l	be a	llov	ved	agai	in u	nde	r se	ectio	on 1	40B(	2)							
15. Reunder						ot c	laim	ed i	n ea	rlier	ret	urn	[reli	ief f	or t	he sa	ame	e is	not	to b	e all	ow	ed		F	₹s.			
unuel	secu	UII I	TUD																										

#### VERIFICATION

I, son/ daug	thter of	solem	anly declare that to the best of my
with the provisions of the Incom	ne-tax Act, 1961. op down to be pro	I further declare the ovided in e-filing ut	and complete and is in accordance at I am making this return in my tility) and I am also competent to er. (Please see instruction).
Date:			Signature:".

[F. No. 370142/20/2025-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy., Tax Policy and Legislation

**Note:-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 969(E), dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and was last amended *vide* number GSR 303(E), dated the 09<sup>th</sup> May, 2025.